

Haryana Vidhan Sabha

Debate

12th January, 1972

Vol.I-No.2

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday the 12th January] 1972

	Page
Starred Question Answers	(2)1
Presentation of Budget for the year 1972-73	(2)10-32

HARYANA VIDHAN SABHA

Wednesday, the 12th January, 1972

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Sector-1, Chandigarh, at 9.30 A.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig.Ran Singh) in the Chair.

STARRED QUESTION AND ANSWERS

Sutlej-Beas Link

***1351 Shri Daya Krishan:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state:

- (a) The period within which the Sutlej-Beas Link is likely to be completed.
- (b) The target date which was originally fixed for the completion of the said link.
- (c) Whether the execution of this schemes has been delayed; if so, the reasons therefore.
- (d) The benefit which will accrue to the State on its completion; and
- (e) The area in the State which will be benefitted by this scheme?

Irrigation & and power Minister (Shri Ram Dhari Gaur):

- (a) According to the present schedule, Beas-Sutlej Link (not Sutlej-Beas Link) is expected to be completed in 1974.
- (b) Targets have been changing from time to time and the last target was 1973.
- (c) Yes. Due to difficult rock conditions encountered in the tunnels.
- (d) Apportionment of the asset from the project between Punjab and Haryana has not yet been decided by the Government of India.
- (e) Additional supply and power that will become available from the Beas-Sutlej Link Project will be for the State of Haryana and not earmarked for any specific area.

श्री दया कृष्ण: क्या वजीर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले इस प्रोजैक्ट को पूरा करने का किस साल का टारगेट था ?

श्री रामधारी गौड़: इसका जवाब अभी दिया गया है कि 1973 था।

Chief Minister (Shri Bansi Lal): Previously the target was some where in 1972. But as you know have to complete the tunnel in the Himalayas and the rock is very weak. I have myself visited the spot. The Honorable Minister for Irrigation & power as well as Shri Poswal have also visited the spot. Sometimes it takes about a month and not even one

inch rock is cut because water and the rock come down and it takes time to take it out. So nobody can fix a target.

श्री बनारसी दास गुप्ता : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि पंजाब के साथ इससे सम्बन्ध रखने वाला फैसला कब होगा ?

Shri Bansi Lal: As early as possible. We are in contact with the Punjab Government as well as the Central Government. The Central Government is also keen that this decision should be given as early as possible. Yesterday in the evening also. I had a meeting with the Punjab Governor along with Secretary, Irrigation & Power, Haryana and Secretary, Irrigation & Power, Punjab; and the negotiations are in progress.

श्री मंगल सैन: सरकार ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि टारगैट चेन्ज होते रहते हैं, क्या मुख्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इसके क्या कारण हैं ?

Shri Bansi Lal: That I have already told, Sir.

श्रीमति चन्द्रावती: जनाब क्या वजीर साहब यह बताने की मेहरबानी करेंगे कि रूपये की कमी की वजह से तो कहीं इस काम में देरी नहीं हुई?

Shir Bansi Lal: Not at all, Sir

लाला बलवन्त राय तायल: मुख्यमंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि हरियाणा में जो सतलुज ब्यास लिंक का पानी आना है, क्या उसके लिए चैनल बनने लग गये हैं ?

Shir Bansi Lal: We are trying to do something; something has been done; and something is to be done after the decision is taken by the Central Government.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री साहब ने कहा है कि something has been done and something is going to be done. इस समथिंग का क्या मतलब हुआ ?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, जैसे दिल्ली पैरेलल ब्रान्च हमने बनायी। पहले जो दिल्ली पैरेलल ब्रान्च थी उसमें 2650 क्यूसिक्स पानी चलता था लेकिन अब उसमें 4150 क्यूसिक्स पानी आ जायेगा और यह दिल्ली के ऐरिये को कवर करती हुई चली जायेगी। इसके अलावा हम दूसरे साधन भी सोच रहे हैं। इस प्रोजैक्ट के पानी को आगे यूटेलाइज करने के लिए हम गुडगांवा कैनाल में डाल रहे हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे इलाकों में भी काम हो चुका है —that means a part of it has been done and the rest of it will be done after the decision of the Central Governemt.

चौधरी दल सिंह: क्या वजीर साहब यह बताने की मेहरबानी करेंगे कि आया इससे पहले भी इन्होंने लिंक चैनल

बनाने के लिये पंजाब सरकार से कोई बातचीत या कार्यवाही की थी ?

श्री बंसी लाल: पंजाब सरकार से हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि पहले सैंट्रल गवर्नमेंट का डिस्मिशन आ जाये, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। son it is up to the Punjab Government.....

चौधरी दल सिंह: क्या यह बात सच है कि जब पंजाब की टैरिटरी में हमारे इन्जीनियर्स और मजदूर इस लिंक की चैनल को बनाने गये तो उनको मार कर भगा दिया गया ?

श्री बंसी लाल: मार कर तो नहीं भगाया गया। जब हम सर्वे करने लगे तो पंजाब सरकार ने मना कर दिया था। उनकी इजाजत के बगैर हम उनकी टैरिटरी में सर्वे नहीं करा सकते थे।

श्री मंगल सैन: इस क्वेश्चन के पार्ट 'डी' में यह पूछा गया है "the benefit which will accrue to the State on its completion ; and (e) the area in the State which will be benefitted by this scheme?"

आपके जवाब में यह कहा है कि कोई स्पैसिफिक एरिया मुकर्रर नहीं किया गया है। क्या इसमें भी आपका "टारगेट" की तरह माइन्ड तो चेन्ज नहीं होता रहेगा ?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, यह ठीक है कि बारे में कोई फाईनल डिस्मिशन नहीं लिया गया लेकिन गवर्नमेंट की यह

जनरल पालिसी हैं कि स्टेट में जितनी जगहो पर आज पानी लगता हैं, पहले तो उनको आगमेंट किया जायेगा। उसके बाद जो पानी बचेगा, वह गुड़गांवा, महेन्द्रगढ़ और हिसार डिस्ट्रिक्टस को दिया जायेगा।

STARRED QUESTION NO. 1352

Mr. Speaker: Extension of time has been granted in respect of Starred Question No. 1352.

Sh. Daya Krishan: For what reasons.

Mr. Speaker: Up to the 18th ; and on the request of the Irrigation and Power Minister.

Electrification of Village

***1353. Sh. Daya Krishan:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:

- (a) the total number of village in the State where there in no electric connectin;
- (b) the total number of village where street light is not provided;
- (c) what steps the Government is taking to provide street light to more village;
- (d) the total number of applications for electric connections in village pending on 1st January] 1972; and

- (e) the total number of applications which were 3 months six months and more than six months old on 1st January, 1972 ?

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): the time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

श्रीमति चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरा प्वायन्ट आफ आर्डर है कि कई सवालों का इस तरह का जवाब दिया जाता है कि "Time and labour involved in collecting the information will nor be commensurate with any possible benefits to be obtained. आप देखिए कि मैम्बर्ज के पास साल में थोड़ा सा तो टाइम आता है कि वह सरकार से पब्लिक के मुफाद में कुछ इन्फर्मेेशन ले सकें। इसके लिये सरकार का यह कहना कि time जो लगता है, उससे कुछ फायदा न होगा, यह गलत बात है। I think the Officers and Ministers are paid for it.

श्री मंगल सिंह सैन: स्पीकर साहब, आप जरा यह क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिये। इसमें यह लिखा है—

"Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state;

- (a) the total number of village in the State where there in no electric connection;
- (b) the total number of villages where street light is not provided;

- (c) what steps the Government is taking to provide street light to more villages;
- (d) the total number of applications for electric connections in villages pending on 1st January] 1972 ; and
- (e) the total number of such applications which were 3 month , six months and more than six months old on 1st January.

श्री बंसी लाल: यह खुद ही बता रहे हैं कि क्वैश्चन कितना बड़ा है ? इतनी देर में तो रामायण पढ़ी जाती है ।

श्री मंगल सिंह सैन: अगर मुख्यमंत्री जी को रामायण का शौक है, तो वह भी पढ़वा देंगे । स्पीकर साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह सरकार ढंढोरा पीटती है कि हमने हरियाणा के हरेक गांव में बिजली पहुंचा दी है । इस सवाल में यह पूछा है कि

“the total number of villages in the State where there is no electric connection;”

इसका उत्तर देने में भला क्या लेबर लगने वाली है ?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, पौने सात हजार गांवों के बारे में फिगरज कौलैक्ट करनी पड़ेंगी कि कहां कया पोजीशन है । अगर कहीं बिजली नहीं पहुंच पायी है तो अपोजीशन चैलेन्ज करें, फिर हम देखेंगे । यह क्वैश्चन दो मिनिस्ट्रीज से ताल्लुक रखता

हैं। एक पार्ट तो यह है कि सब जगह बिजली पहुंच गयी है या नहीं ? यह तो स्पष्ट है और इसका हम पहले सेशन में जवाब भी दे चुके हैं। दूसरे पार्ट में यह पूछा गया है कि कहां स्ट्रीट लाईट हैं और कहां नहीं हैं ? यह डिपार्टमेंट का काम है। यह इरीगेशन एन्ड पावर डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि वह देखें कि किसी जगह पर स्ट्रीट लाईट लगी हुई है या नहीं—The position of the Government is very clear in this regard. किसी की दरखास्त तीन महीने से, छः महीने से या कितने टाइम से पैन्डिंग है, यह इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगे तो it will be a huge volume.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, बहुत अच्छा हुआ कि बिल्ली अपने आप ट्रैप में आ गयी है।.....

एक आवाज: और यह बिल्लाव—है ? (हंसी).....

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन्होंने तो आपको भी चैलेंज कर दिया कि इसमें कई डिपार्टमेंट्स इन्वाल्व्ड है।

इस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि जब आप एक क्वेश्चन एडमिट कर चुके हैं और जो भी इसमें रिक्वीजिट बात थी वह पूरी हुई तभी तो यह एडमिट किया गया है तो मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि इसमें कई डिपार्टमेंट इन्वाल्व्ड हैं, टाइम और लेबर इसमें बहुत लगेगी, यह कहां तक उचित है ?

Mr. Speaker: Let me give my ruling. please.

(Laughter and noise)

Order, please, I want to make clear the point raised by Doctor Sahib After reading the Questions, I do realise that this Questions could have been split into three Questions.

Sh. Mangal Sein: It is your mistake, Sir.

Mr. Speaker: Yes. After all the point is that this has been done One should have courage to admit a mistake. This question could have been split into two or probably into three questions, i.e., (i) electrification; (ii) applications for connections to the tube wells, and so on; and (iii) provision of street lights.

Shri Mangal Sein: But, the Department is one.

Sh. Bansi Lal: The work of providing street lights concerns a separate Department.

Mr. Speaker: Yes, that is a separate Department.

चौधरी रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि टाईम और लेबर काफी इन्वाल्वड हैं, मेरा इस बारे में यह कहना है कि इस सवाल के पहले हिस्से में पूछा गया है कि कोई ऐसा गांव है जिसमें कि कनेक्शन नहीं है ? इसका जवाब बहुत आसान है या तो यह हां कर दे या न कह दें।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, पिछले दो सैशनज में हम कह चुके हैं, जब हम आन दी फ्लोर दी हाउस कह चुके हैं और बार—बार कह चुके हैं, तो अब कहां तक कहें।

चौधरी रणबीर सिंह: मेरा निवेदन है कि जो बिजली की भाषा है उसमें यह कहा जाता है कि गांव को बिजली मिल गई । इसके मायने यह है कि

श्री बनारसी दास गुप्ता: बिजली की भी क्या कोई भाषा होती है ?

चौधरी रणबीर सिंह: पहले आप हंस ले फिर कह लेना (विघ्न) अध्यक्ष महोदय मैं यह कह रहा हूँ कि जब सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि हरेक गांव इलेक्ट्रिफाईड हो गया है तो इसका मतलब यह होता है कि वहां ग्यारह के० वी० की लाईन बिछा दी गई है और वहां ट्रांसफार्मर लगा दिया गया । लेकिन उस गांव में कोई कनेक्शन है या नहीं, सवाल यह पैदा होता है । मुख्य मंत्री जी की सूचना के मुताबिक हरेक गांव को कनेक्शन मिल गया तो इस चीज पहुंच गई है । इसके अलावा जो दूसरे दो भाग हैं उनका जवाब भी कोई मुश्किल नहीं है । जहां तक गांवों में गालियों के लिए बिजली के कनेक्शन देने का सवाल है वह भी ज्यादा तादाद नहीं हो सकती है ।

Shri Bansi Lal: Is this a speech, or a supplementary, or a Point of Order or what.

Mr. Speaker: The honorable Member is making suggestions. I think, there can be no submission here. You have made your point, Chaudhri Sahib.

चौधरी रणबीर सिंह: मेरा निवेदन यह है कि इसके जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्पीकर साहब आपको भी इनसे जवाब दिलाना चाहिए।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें टाईम और लेबर बहुत ज्यादा इन्वाल्वड है और जहां तक गांवों का सवाल है हर एक गांव को इलेक्ट्रिफाई कर दिया गया है।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, इसका साफ मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने जो पहले स्टेटमेंट दिया है कि हर गांव को बिजली दी जा चुकी वह गलत है (शोर) वरना आज भी यह कह सकते हैं कि हर गांवों को कनेक्शन दिया जा चुका है। इसके पार्ट 'सी' में यह पूछा गया है कि what steps the Government is taking to provide street lights to more villages?

Mr. Speaker: Chaudhri Sahib, let me clear the position.

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, एक मिनट की बात है जितने भी कनेक्शन दिए जाते हैं। उनकी रिपोर्ट हैडक्वाटर में आती है इनके पास रेडी रैंफ्रेन्स होता है कि हरियाणा में इतने कनेक्शनज पैन्डिंग हैं। अगर यह जानबुझ कर नहीं बताना चाहते तो बात और है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: Now, I think the thing is over. Chaudhri Sahib, let me say something. The position with

regard to the Question as you know is very clearly laid down. The Speaker cannot force a Question to be answered. The Question was put by one of the honorable Members Shri Daya Krishan has been given the answer. It is the considered opinion of the Government that time and labour involved to produce that answer is not commensurate with the benefit to be derived. So, this is their view and there is no point in commenting upon it, because , during the Question Hour, no submissions and other things are required. That is the position.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, सबमिशन नहीं हैं, सप्लीमेंटरी हैं।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, बात यह है कि क्वेश्चन के सिवा गवर्नमेंट से जवाब हासिल करने का और कौन सा तरीका है और क्वेश्चन पब्लिक अफेयर्ज से सम्बन्धित है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है ? हमारे चीफ मिनिस्टर का यह क्लेम कि हर गांव में बिजली पहुंच गई है। यह इस सवाल से जो पूछा गया है, मेल नहीं खाता क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि कितने ऐसे गांव है जहां पर बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। स्पीकर साहब बिजली की लाईन बिछाना एक बात है और गांव के अन्दर कनेक्शन देना दूसरी बात है। ये यह बताएं कि कितने गांव ऐसे हैं जहां कनेक्शन नहीं दिए गए। (विघन) आगे यह पूछा गया है कि बिजली के कनेक्शन के लिए कितनी दरखास्तें आई हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

चौधरी चांद राम: आप एक मिनट तो सुन लीजिए ।

Mr. Speaker: Chaudhri Sahib, Let me say something. You cannot take so much time. Under what rule, are you speaking?

चौधरी चांद राम: चौधरी साहब, एक मिनट सुन तो ले..

....

Mr. Speaker : Please sit down let me make my observation. The point is that there can be no discussion on Question. The answer has been given. I can not force an answer. Even the Member can not force an answer. But, here the thing is that every village has been electrified. The connections have also been given. This is what I presume.

चौधरी चांद राम: इसलिए तो हम चैलेज करते हैं ।

There are two villages, where even any K.V. line does not pass and there is no connection in those villages.

Mr.Speaker: But, the answer has been given.

Shri Bansi Lal: This is a false statement.

Chaudhri Chand Ram: No, it is not a false statement. I am prepared to resign if it is proved false. He is making a false statement.(Interruption and noise). स्पीकर साहब, तहसील झज्जर में, छूछकवास के पास दो गांव आजाद पुर

और सुरजगढ़ हैं जिनमें अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया और अगर दिया गया हो तो....

Shri Bansi Lal: Nobody bothers for what you say.

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, इन्होंने कहा हैं कि nobody bothers for what I say तो Do I bother what he says ?

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह हैं कि ...(शोर)

Mr. Speaker: Order please. This is too much noise.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, चौधरी चांद राम जी ने दो गांवों; आजाद पुर सुरजगढ़ जो छूछकवास के पास हैं, तहसील झज्जर, का नाम लिया हैं इन्होंने कहा कि यह दोनों गांव हरिजनों के हैं, इन गांवों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका हैं। चौधरी चांद राम जी कहा कि अगर यह बात गलत हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उधर मुख्य मंत्री जी हैं। आप दोनों का इस्तीफा ले लीजिए और हाउस की एक कमेटी बना दीजिए जो इस बात की जांच करे अगर उन गांवों में बिजली दे दी गई तो चौधरी चांद राम जी का इस्तीफा मन्जूर कर लिया जाए नहीं तो मुख्य मंत्री जी का इस्तीफा मन्जूर कर लिया जाए (शोर—हंसी)

Mr. Speaker: I wish the solution was all that simple. (Laughter) I think we had enough of this thing. Now we go ahead. The Finane Minister to please-----

Sh. Satya Narain Syngol: Supplementary, Sir.

Mr. Speaker: No supplementary now. Nothing at all. The Hon. Finance minister to please deliver her Budget Speech.

PRESENTATION OF BUDGET FOR THE YEAR 1972-

73

वित्त मंत्री (श्रीमती प्रभा जैन): श्रीमान्, आज जब मैं सन् 1972-73 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिये खड़ी हुई हूँ, मुझे राज्य की सफलताओं पर बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। 1971-72 का वर्ष बहुत ही भाग्य-निर्णायक रहा है। पाकिस्तान के साथ हुए 14 दिन के युद्ध में हमें न केवल शानदार विजय प्राप्त हुई है, बल्कि इसने अंतरिक तथा बाहरी मामलों के प्रति हमारे समूचे दृष्टिकोण को ही बदल दिया है। हमने सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्रीय संकट के समय हम एक हो सकते हैं हमने विश्व को यह भी दिखा दिया है कि भारत के अपने कुछ सिद्धान्त हैं और वह इन्सान की आजादी और बराबरी की कदन करता है तथा मूल्यवान सिद्धान्तों के लिये बड़े से बड़ा बलिदान दे सकता है। हमारी फौजों ने बहुत ही शानदार ढंग से लड़ाई लड़ी है और मुझे यकीन है कि अपने बहादुर सैनिकों अफसरों और जवानों का अभिनन्दन करने में सारा सदन मेरा साथ देगा। माननीय सदस्य उन कदमों से भली-भांति परिचित है जो राज्य सरकार ने अपने बहादुर सपूतों का सम्मान दे करने और मातृभूमि के लिए सब से बड़ा बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों के लिए उठाए हैं।

यहां मैं उन उपायों को दोहराने की जरूरत नहीं समझती हूँ। युद्ध ने हमारे अन्दर आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान की अद्भुत भावनाएं भर दी हैं। विदेशी सहायता पर अब हम पहले जितने निर्भर नहीं हैं। इसके लिये हमें कड़ी मेहनत और ज्यादा किफायत करनी होगी क्योंकि हमने अर्थ-व्यवस्था में आत्म-निर्भर होने का दृढ़ संकल्प किया हुआ है।

हरियाणा में हमने 1971-72 के वर्ष में तरक्की के स्तर का बनाए रखा है और अगले वर्ष में और अधिक तरक्की करने के लिये हम आशावान हैं। हरियाणा में हो रहे विकास-कार्यों की प्रगति की जानकारी देने के लिये मुझे यह कहना है कि आरम्भ में हमारी चौथी योजना (1969-74) के लिये 225 करोड़ रुपये की रकम रखी गई थी 1969-70 में हमारा योजना खर्च 42.15 करोड़ रुपये और 1970-71 में 60.29 करोड़ रुपए था तथा 1971-72 में हम 75.11 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। ख्याल है कि 1972-73 में हमारी योजना पर होने वाला खर्च 90 करोड़ रुपये से अधिक होगा (प्रशंसा)। इन तथ्यों से माननीय सदस्यों को स्पष्ट हो गया होगा कि हम अपनी चौथी योजना के पहले चार सालों के दौरान 267 करोड़ रुपये खर्च कर लेंगे जबकि शुरू में सारी योजना के लिये कुल 225 करोड़ रुपये खर्च को बढ़ाकर लगभग 370 करोड़ रुपए कर देंगे। यह तरक्की राज्य में अच्छे आर्थिक रुझानों के कारण हुई है।

मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हरियाणा इन उपलब्धियों के कारण देश के अत्यन्त प्रगतिशील राज्यों में से एक है। पहले दो वर्षों के दौराना समूचे देश की अर्थ-व्यवस्था में हुई 5 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले में हरियाणा की अर्थ-व्यवस्था में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आमदनी 440 रुपये रही जबकि अखिल भारतीय (1969-70 के अनुमानों के आधार पर) प्रति व्यक्ति आमदानी 339 रुपये हैं और राज्य की 1967-68 में प्रति व्यक्ति आमदनी 391 रुपये थी। 1970-71 में इस आमदनी का और भी अनुमान है। रोजगार के मामले में राज्य में 1970-71 में 8.1 प्रतिशत वृद्धि 2.2 प्रतिशत थी। 1969-70 में संगठित सैक्टरों में कुल मिला कर 2.59 लाख लोगों को रोजगार मिला था जबकि 1970-71 में 2.80 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

वित्तीय स्थिति: राज्य द्वारा की गई प्रगति अधिक जुटाए जाने के कारण हुई है। चालू वर्ष के दौरान 123.23 करोड़ रुपये की राजस्त प्राप्तियों का अनुमान है जबकि इसके मुकाबले में वर्ष 1970-71 में 99.18 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थीं। आशा है कि 1972-73 में यह रकम बढ़ कर 141.41 करोड़ रुपए हो जाएगी। इन अधिक प्राप्तियों और योजनेतर खर्च पर सरकार द्वारा संयम रखने के कारण हमारे पास विकास-कार्यों के लिए और अधिक साधन उपलब्ध होने की संभावना है।

लेखे, 1970-71: वर्ष 1970-71 के लेखों से पता चलता है कि वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 4.48 करोड़ रुपये का घाटा था जबकि उस वर्ष के संशोधित अनुमान बनाते समय 7.49 करोड़ रुपये के घाटे की संभावना थी। इसका मुख्य कारण रिजर्व बैंक आफ इंडिया की आर्थोपाय पेशगियो(ways and means advances) की कम अदायगी थी।

संशोधित अनुमान, 1971-72: वर्ष 1971-72 के बजट अनुमानों का संशोधन किया गया है और वर्ष 1972-73 के बजट अनुमानों के मुकाबले में अत स्थिति इस प्रकार है:-

	बजट अनुमान 1971-72	संशोधित अनुमान 1971-72	बजट अनुमान 1972-73
(I) प्रारम्भिक बकाया			
(क) लेखा पुस्तकों के अनुसार	(-)7,49	(-) 4,48	(-)9,18
(ख) खजाना बिलों में निवेश	5,94	5,94	5,94
(II) राजस्व लेखा प्राप्तियां	1,1,320	1,23,23	1,41,41

खर्च	1,05,11	1,08,55	1,22,33
बचत(+)	(+)8,09	(+) 14,68	(+)19,08
घाटा(-)
(III) पूंजी खर्च (निबल)	33,37	45,50	50,43
(IV) सर्वाजनिक ऋण:-			
लिया गया ऋण	60,75	1,13,74	99,09
वापस की गई रकमें	42,42	90,50	72,44
निबल	(+)18,33	(+)2324	(+)26,65
(V) कर्ज तथा पेशगियां			
पेशगियां	18,86	17,99	18,96
वसूलियां	11,82	9,49	4,78
निवल	(-)7,04	850	1418
(VI) अन्तर्राज्य समंजन	-105	-74	106
(VII) फुटकर निधि
(VIII) अनिधिक ऋण			

(निबल)	+180	+182	+230
(IX) जमा तथा पेशगियां			
(निबल)	+ 924	+ 1037	+1194
(X) प्रेषण	- 7	-7	-7
(XI) अंतिम बकाया			
(क) लेखा पुस्तकों के अनुसार	-1156	-918	-1522
(ख) प्रतिभूतियां में निवेश	594	594	594

माननीय सदस्यों को चालू वर्ष के संशोधन अनुमानों से स्पष्ट होगा कि बजट अनुमानों को बनाते समय 11.56 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया था जो अब कम होकर केवल 9.18 करोड़ रुपये रह गया है। अनुपूरक मांगों द्वारा सिंचाई, बिजली और सड़कों के विकास-कार्यों पर पर्याप्त मात्रा में धन खर्च करने के बावजूद हम ने अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाया है। बजट के अनुमानों के मुकाबले में संशोधित अनुमानों में हुए फेरबदल के सविस्तार कारण वित्त सचिव के ज्ञापन में दिए

गये हैं, परन्तु माननीय सदस्यों की सूचना के लिये इन कारणों को मैं संक्षेप में कहूंगी।

संशोधित अनुमानों में राजस्व-प्राप्ति बजट अनुमानों के तत्संबंधी आंकड़ों से 10.03 करोड़ रुपये ज्यादा हैं और इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि करों और शुल्कों से तथा केन्द्रीय करों में 10.57 करोड़ की वृद्धि से पता चलता है कि वसूलियां ढंग से की गई हैं और राज्य की अर्थ-व्यवस्था में एक सामान्य लचीलापन है। वसूलियों के अधिक होने का एक कारण जून 1971 से बाहर जाने वाले माल पर खरीद-कर का लगाया जाना भी है। इस कदम से अनेक दोषों का दूर करने में पर्याप्त सहायता मिली है। केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से के बढ़ जाने का कारण यह है कि चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों की दरों में वृद्धि कर दी गई है।

प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हम अपने विकास-कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के योग्य हो गए हैं और चालू वर्ष के लिये योजना खर्च 61.38 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75.11 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राजस्व खर्च 3.44 करोड़ रुपये और पूंजी खर्च 12.13 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। राजस्व खर्च में यह वृद्धि शिक्षा, सामुदायिक विकास प्रोजेक्टों के योजना खर्च को बढ़ाने और भारत-पाक संघर्ष के परिणामस्वरूप सामान्य प्रशासन पर अधिक खर्च होने के कारण हुई है। हमने चालू वर्ष में भी सिचाई नहरों, सड़कों तथा भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिये

अधिक अनुदान की व्यवस्था करने की नीति जारी रखी हुई हैं और कारण भी अतिरिक्त खर्च हुआ है। पूंजी खर्च में वृद्धि मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सिंचाई, बिजली के प्रोजेक्टों तथा सड़क-निर्माण कार्यक्रमों पर अधिक धन खर्च किये जाने के कारण है।

सार्वजनिक ऋण के मदद के अधीन, बजट अनुमानों की अपेक्षा संशोधित अनुमानों में 4.91 करोड़ रुपये की निबल वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यतः छोटी बचतों से संबन्धित हमारे प्रयत्नों का परिणाम है, जहां 1970-71 में अत्यधिक बचतों के परिणामस्वरूप हम छोटी बचतों के अधीन 17.50 करोड़ रुपए का ऋण लेने में सफल हो सके हैं। राज्य सरकार ने माईनर इरिगेशन (ट्यूबवैल्ज) कार्पोरेशन तथा राज्य बिजली बोर्ड को उसके पानीपत थरमल प्रोजेक्ट के लिये और अधिक ऋण दिये हैं। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के प्रयोजनों के लिये रखी गई कम रकम को बढ़ा दिया है।

बजट अनुमान, 1972-73: अब मैं 1972-73 के लिए बजट अनुमान सदन के सामने प्रस्तुत करती हूँ। चालू वर्ष के 122.23 करोड़ रुपये के (Revised Estimates) संशोधित अनुमानों के मुकाबले में अगले वर्ष में 141.41 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों के होने का अनुमान है। इस प्रकार इसमें 18.18 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इस वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं:—केन्द्रीय करों की विभाज्य निधि (Division Pool) से हमारे हिस्से में वृद्धि (1.25

करोड़ रुपये), बिक्री-कर से अधिक वसूलियां (3.24 करोड़ रुपये), अन्य करों तथा शुल्कों से अधिक आय (1.23 करोड़ रुपये), वाणिज्य विभागों तथा अन्य पार्टियों को दिए गए कर्जों पर अधिक ब्याज की प्राप्ति (3.58 करोड़ रुपये) तथा परिवहन सेवाओं से अधिक आय (7.44 करोड़ रुपये)। अगले वर्ष में राजस्व खर्च चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 13.78 करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है। इस वृद्धि का बड़ा हिस्सा (6.14 करोड़ रुपये) समाजिक तथा विकास-सेवाओं पर होने वाले अधिक खर्च के कारण है। राज्य परिवहन सेवाओं का ओर अधिक विस्तार किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप इन पर होने वाला खर्च 4.64 करोड़ रुपये बढ़ गया है। इस प्रकार राजस्व अधिवेष (Revenue Surplus) संशोधित अनुमानों में 14.68 करोड़ रुपये से बढ़कर अगले वर्ष के बजट अनुमानों में 19.08 करोड़ रुपये हो गया है।

इन बजट अनुमानों में उपबन्धित पूंजी खर्च, चालू वर्ष के 45.50 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 4.93 करोड़ रुपये से अधिक है। इस मुख्य कारण यह है कि हमारे सड़क-निर्माण तथा सिंचाई कार्यक्रमों के लिये अधिक राशि की व्यवस्था की गई है।

सर्वाजनिक ऋण की मदद के अधीन संशोधित की अपेक्षा 3.41 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होने का अनुमान है। यह वृद्धि चालू वर्ष के मुकाबले में 1972-73 के लिए प्रत्याशित अधिक

बाजारी ऋण (2.02 करोड़ रुपये) तथा भारत सरकार और अन्य साधनों से प्राप्त हुए ऋणों की कम वापसी के कारण हैं।

बजट अनुमानों में दिखाये गए लेन-देन के परिणामस्वरूप हमारे बजट में 6.04 करोड़ रुपये का घाटा रह जाएगा। इस में चालू वर्ष का 9.18 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा जोड़ देने से हमारे बजट में 1972-73 की समाप्ति पर 15.22 करोड़ रुपये का कुल घाटा हो जाने का अनुमान है। [विपक्ष की ओर से शोम शोम की आवाजें(शोर)]

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

चौथी योजना: चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (mid-term appraisal) से इस मत की पुष्टि हो गई है कि चौथी योजना को बनाते समय राज्य में विकास की जिस गति का शुरु का अनुमान लगाया गया था उससे काफी तेज रही है। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन जो 1968-69 में 27.64 लाख टन था, वह 1970-71 में बढ़ कर 47.33 लाख टन हो गया (प्रशंसा) जबकि चौथी योजना में इसके लिए 44 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था चौथी योजना के मूल लक्ष्यों के अनुसार योजना में केवल दो हजार गांवों को बिजली दी जानी थी, किन्तु 1969-70 के अंत तक सभी 6669 गांवों में बिजली पहुंचा दी गई (प्रशंसा)। इस प्रकार सड़को के सम्बन्ध में भी पहले साधारण सा लक्ष्य था जिसके लिये 17 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। किन्तु अब अकेले अगले

वर्ष के लिए ही इतनी रकम रखी गई है और जनवरी, 1973 तक सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है (प्रशंसा)। डाक्टर साहब क्या कोई कमेंट देना है

श्री मंगल सैन: कमेंट क्या हम तो रनिंग कमेंट देंगे।

श्रीमति ओम प्रभा जैन: आशा है कि चौथी योजना में सिंचाई के लिये निर्धारित लक्ष्यों को भी पीछे छोड़ दिया जाएगा। चौथी योजना के बनाए जाने के पश्चात् अनेक नए प्राजैक्ट जैसे, जूई नहर, (इन्दिरा गांधी नहर) सिवनी नहर, पश्चिमी यमुना आंगमेंटेशन स्कीम और अनेक बैरेज आदि बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है और इन में से कुछ को पूरा भी किया जा चुका है।

इस असाधारण उन्नति का प्रधान कारण कृषि-क्षेत्र में की गई प्रगति है। सिंचाई-सुविधाओं और विद्युतीकरण (Electrification) परिवहन और संचार-व्यवस्था ने राज्य के गांवों को पूरी तरह से बदल दिया है। राज्य सरकार द्वारा इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी लगाने का यह लाभ हुआ है कि खाद्यानों की उपज में हमारे लगाए गए अन्दाजों से कहीं अधिक वृद्धि हुई है। 1970-71 में लगातार दूसरे वर्ष, चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में प्राप्त करने के लिए नियत किए गए खाद्य उत्पादन के 44 लाख टन के लक्ष्य से भी अधिक उपज हुई है। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 1969-70 में जो उत्पादन 46.26 लाख टन था वह 1970-71 में बढ़ कर 47.33 लाख टन हो गया है। इसी अवधि

के दौरान गेहूं का उत्पादन 21.47 लाख टन से बढ़कर 23.40 लाख टन और चावलों का 3.72 लाख टन से बढ़कर 4.50 लाख टन हो गया है अब हरियाणा देश, में गेहूं, चना, और बाजरे का उत्पादन करने वाले चार बड़े राज्यों में से एक है।

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई: जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक है कि कृषि का विकास किया जाए तथा राज्य अपने धन को कार्यक्रमों में इस प्रकार लगाए कि कृषि का अधिक से अधिक विकास हो। इस संबन्ध में सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रमों का बहुत महत्व है। 1971-72 के दौरान राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र 42.90 लाख एकड़ होने का अनुमान है और 1972-73 की समाप्ति तक इसे बढ़ा कर 46.98 लाख एकड़ करने का प्रस्ताव है। इन कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय उपबन्धों (Financial provisions) का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता रहा है और इन्हें संशोधित करके बढ़ाया जाता रहा है। मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर खर्च चालू वर्ष के 9.42 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। और आगामी वर्ष में इसके लिये 20.88 करोड़ रुपये की राशि रखने का प्रस्ताव है (प्रशंसा)। यह उपबन्ध उस खर्च के अतिरिक्त है जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं (Multipurpose Projects) के संबन्ध में हमारे हिस्से आएगा।

हमारी सिंचाई नीति की मुख्य दिशा यह रही है कि राज्य के जल साधनों का अनुमान लगाया जाए, उन्हें बहुत

किफायत से प्रयोग में लाया जाए और ऐसा करते समय चिरकाल से सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सिंचाई की सुविधाएं जुटाने पर विशेष बल दिया जाए। जूई नहर तथा इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप 1.02 लाख एकड़ शुष्क एकड़ भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होगी और ब्यास प्रोजेक्ट से पानी की पूरी सप्लाई होने पर 7.5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उपज होगी। खरीफ 1971 में जूई नहर से 6,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हुई, जिस से 40 लाख अतिरिक्त का उत्पादन हुआ तथा लोहारू प्रोजेक्ट की इन्दिरा गांधी नहर से 3500 एकड़ भूमि की सिंचाई हुई जिससे 25 लाख का उत्पादन हुआ। इन्दिरा गांधी नहर के दूसरे चरण का काम चल रहा है जिस पर 6.93 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सिवानी नहर के पहले तथा दूसरे चरणों का काम भी हो रहा है जिस पर 8.71 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इन स्कीमों के पूरा होने पर इनसे राज्य के शेष सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। जिला गुडगांव के रिवाड़ी के पास के क्षेत्रों और जिला महेन्द्रगढ़ में सिंचाई की सुविधाएं जुटाने के लिए बावल नहर स्कीम पर खोज हो रही है।

सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये तथा बाढ़ के पानी का पूरा उपयोग करने के लिये सरकार ने बरसाती नालों को नियन्त्रित करने के काम की ओर विशेष ध्यान दिया है।

इस सिलसिले में चालू की गई स्कीम बीबीपुर झील प्रोजेक्ट हैं। इस स्कीम के अनुसार लगभग, 80000 एकड़ बाढ़ का पानी मारकंडा में इकट्ठा किया जाएगा और रबी के मौसम के दौरान पानी को उपयोग में लाया जायेगा। इस स्कीम के अगले वर्ष में पूरा होने की संभावना है। जिला अम्बाला में घग्गर तथा मारकंडा नदियों के बाढ़ के पानी की नियन्त्रित करने तथा उसे उपयोग में लाने के लिये और जिला हिसार में औटू झील की क्षमता को बढ़ाने के लिये ऐसे ही प्रोजेक्ट विचाराधीन हैं जिला महेन्द्रगढ़ में साहिब नदी को नियंत्रित करने के लिये जांच की जा रही है।

पश्चिमी यमुना नदीर आगमैटेंशन प्रोजेक्ट सरकार द्वारा चालू की गई एक और बड़ी सिंचाई परियोजना है जिस पर 13.50 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। इस स्कीम के अनुसार यमुना नदी से पानी की सप्लाई को बढ़ाया जायेगा, जिस में पानी की सतह वर्षाकाल के इलावा अन्य ऋतुओं में नीचे रहती है। जनवरी, 1973 तक पूरे होने वाले इस स्कीम के पहले चरण से नहर में लगभग 1000 क्यूसेक पानी बढ़ जाएगा और 1973 के अन्त तक स्कीम के पूरा हो जाने पर इससे 30 लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा। इस स्कीम के लिये चालू वर्ष के दौरान 3.48 करोड़ रुपये की तथा आगामी वर्ष के लिये 6.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सरकार द्वारा मुरम्मत तथा सन्धारण-कार्य (Maintenance) की ओर ध्यान दिये जाने से पश्चिमी यमुना नहर सिस्टम के जलमार्गों की गाद निकालने तथा उन्हें बेहतर बनाने में सहायता मिली है और इसके फलस्वरूप मेन लाइन में जल-प्रवाह-क्षमता सामान्यतः 10,000 क्यूसेक के मुकाबले 1970 की मानसून के दौरान 11500 क्यूसेक रही।

बाढ़ों की रोकथाम: सरकार बाढ़-नियंत्रण तथा जल-निकास कार्य की ओर लगातार ध्यान दे रही हैं। चौथी योजना में इस कार्य के लिए निर्धारित 900 लाख रुपये की राशि में वृद्धि हो जाने की संभावना है क्योंकि पहले चार वर्ष का ही कुल खर्च 8,45.88 लाख रुपये हो जाने का अनुमान है। चालू वर्ष के समान अगले वर्ष भी इस कार्य पर 250 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे। गांवों के लोगों तथा बहुमूल्य भूमि की सुरक्षा के लिये जल-निकास तथा नदी-सुरक्षा संबंधी निर्माण-कार्यों के लिए बहुत सी स्कीमें चालू की गई हैं। 60 लाख रुपये के खर्च से राओली तथा कनमैडा बांधों के निर्माण से लंडोहा नाले के बाढ़ के पानी पर काबू पा लिया गया है और इसके फलस्वरूप एक बड़े भू-भाग को विनाश से बचा लिया गया है

10.00 A.M.

लघु सिंचाई: भूमिगत जल-स्रोतों के विकास का कार्य माईनर इरीगेशन ट्यूबवैल कार्पोरेशन (Minor Irrigation Tube-well

Corporation) को सौंप दिया गया है जो चार करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी से स्थापित की गई है। कार्पोरेशन ने मार्च, 1973 तक 600 आगमेंटेशन ट्यूबवैल तथा 300 सीधे सिंचाई-नलकूप लगाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। स्कीम के अंतर्गत जींद, करनाल, गुड़गांव, हिसार की हांसी तहसील, अम्बाला की नारायणगढ़ तहसील तथा महेन्द्रगढ़ के जिलों के क्षेत्रों में कार्य किये जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कार्पोरेशन की यह भी योजना है कि गुड़गांव जिले की पलवल तथा बल्लवगढ़ तहसीलों में 100 नलकूप तथा हिसार जिले के टोहना, फतेहबाद तथा सिरसा क्षेत्रों में 100 नलकूप लगाए जाएं। सरकार ने इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सहायता देने के लिये कार्पोरेशन को चालू वित्त वर्ष के दौरान 75 लाख रुपये हिस्सा-पूजियाँ तथा 100 लाख रुपये ऋण के तौर पर देने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त कार्पोरेशन अपनी स्कीमों के लिये संस्था-ऋण (Institutional Credit) लेने के लिये विभिन्न संस्थाओं के साथ बातचीत भी कर रही है। कार्पोरेशन ने अब तक 239 नलकूप लगाए हैं, जिनमें से 61 चालू हो गये हैं।

किसानों द्वारा लघु-सिंचाई यूनिटों की स्थापना किये जाने के लिये ऐग्रीकलचर रिफाईनैसिंग कार्पोरेशन की स्कीमों के अधीन अधिक से अधिक ऋण प्राप्त करने के प्रयास भी जारी हैं। चालू वर्ष में 47 खंडों में 3280 लघु सिंचाई यूनिटों की स्थापना की जा रही है। इन स्कीमों के अधीन अगले वर्ष भी यह कार्य

जारी रहेगा। 1971-72 के दौरान इन लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों पर राज्य के साधनों से 109.00 लाख रुपये का संस्था-ऋण (Institutional Credit) प्राप्त होने की संभावना भी है। तथा वर्ष 1972-73 के लिये भी इतनी ही राशि प्रत्याशित है। सिंचाई के कम साधनों का पूर्णरूप से उपयोग करने के लिए जलप्रबन्ध स्कीमों के लिये संस्था-ऋण (Institutional Credit) भी प्राप्त किया जा रहा है चालू वर्ष में विभिन्न संस्थाओं से 102.37 लाख रुपये प्राप्त करके खर्च करने की संभावना है तथा अगले वर्ष के लिये भी इतनी ही राशि सम्भावित है।

कृषि उत्पादन: कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि का मुख्य कारण काश्तकारी के बढ़िया तथा आधुनिक तरीकों को अपनाना है। राज्य के सभी 82 खंडों में अनाज की अधिक उपज देने वाली विभिन्न किस्मों की काश्त का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। 1971-72 के दौरान इन किस्मों के अधीन 27.45 लाख एकड़ अनुमानित क्षेत्र था जिसे बढ़ाकर 1972-73 में 35.00 लाख एकड़ कर देने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिये 27 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। तिलहन, कपास तथा गन्ने के उत्पादन की और भी ध्यान दिया जा रहा है तथा इन कार्यक्रमों के विकास पर 1972-73 के दौरान 60.76 लाख रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है जबकि इसकी तुलना में इन कार्यक्रमों पर इस वर्ष 50.51 लाख रुपये का खर्च प्रत्याशित है 1966-67 में खादों की खपत केवल 66.70 हजार टन थी जो बढ़कर 1971-72 तक 5.05

लाख टन हो जाएगी तथा अगले वर्ष के लिये इनका लक्ष्य 6.60 लाख टन नियत किया गया है। घातक कीड़े-मकौड़े से इन नई किस्मों को बचाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा पौधा सुरक्षा स्कीमों के लिये चालू वर्ष में किए गए 5.00 लाख रुपये के उपबन्ध को भी 1972-73 में 6.50 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। 40 लाख रुपये की अनुमानित लागत से हरियाणा कृषि विमानन बोर्ड (Haryana agricultural Aviation Board) के माध्यम से हवाई छिड़काव स्कीम की जा रही है। आशा है कि दो हैलीकाप्टरों और दो हवाई जहाजों से आगामी वित्त वर्ष में तीन लाख एकड़ फसलो को इस योजना के अन्तर्गत लाया जा सकेगा। सरकार यह भी प्रस्ताव है कि फलों तथा सब्जियों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाए तथा इस के लिये 1971-72 के 8.92 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। भूमिगत पदार्थों का पता लगाने के लिये इस वर्ष से परीक्षण वेधस्कीम (Trial Bore Scheme) पुनः आरम्भ की गई है तथा 10.05 लाख रुपये के उपबन्ध से इस 1972-73 के दौरान भी जारी रखने का प्रस्ताव है। विश्व बैंक से करार करने के पश्चात् कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित फार्म मशीनीकरण प्रोजेक्ट गत अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के अधीन 6000 ट्रैक्टर, 20 स्वचालित तथा 100 ट्रैक्टर द्वारा चलाई जाने वाली फसल काटने की मशीनें और बौछारी सिंचाई (Sprinkler Irrigation) के लिये 75 सैट आयात करने का प्रस्ताव है।

कृषि अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार हिसार कृषि विश्वविद्यालय को अपनी किस्में की सर्वोत्तम संस्था बनाने के लिये अपने उद्देश्य में प्रयत्नशील हैं। इसके लिये चालू वर्ष 1,2202 लाख रुपये के अनुदान में 41.13 लाख रुपये की ओर वृद्धि की गई थी तथा 1972-73 के लिये 296.96 लाख रुपए का उपबन्ध किया जा रहा है। हिसार तथा गुडगांव कृषक सलाहकार सेवा प्रशिक्षण केन्द्रों के कर्मचारियों के लिये मकानों के दो ब्लॉक पूरे होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त होम साइंस कालेज तथा बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज कालेज, कृषि इंजीनियरी तथा खाद्य पदार्थ विज्ञान तथा टैकनालौजी विभागों केन्द्रीय इन्स्ट्रुमेंटेशन सैल, विद्यार्थी कल्याण तथा गतविधि केन्द्र, रोहतक में कृषक सलाहकार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र, करनाल में शुष्क कृषि अनुसंधान स्टेशन, कृषि कालेज तथा होस्टल तथा कौल में चावल अनुसंधान प्रयोगशाला, नेहरू प्रयोगशाला एवं विस्तार शिक्षा कम्प्लैक्स के भवन निर्माणाधीन हैं। विश्वविद्यालय में अन्वेषण कार्यक्रम भी शुरू हो गया है तथा बीजों की चार नई किस्में निकाली गई हैं।

खाद्यान्नों की खरीद: सरकार की खाद्यान्न नीति का उद्देश्य यह रहा है कि मूल्यों को स्थिर रखने के लिये उत्पादन बढ़ाया जाए और उचित मूल्यों की व्यवस्था करके अधिक उत्पादन किया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार तौर पर खरीद को काफी बढ़ा दिया गया है। 1967 में 494287 टन गेहूं

की खरीद के मुकाबले में 1970 में 4.82 लाख टन गेहूं खरीदी गई और 1971 में 7.09 लाख टन की खरीद की गई, जो एक उल्लेखनीय बात की हैं। चालू मौसम में चावल की खरीद का कार्य पूरे जोरों पर हैं और 1970-71 में खरीद गए 2.46 लाख टन चावल के मुकाबले चालू मौसम में खरीद 3 लाख टन से अधिक होने की संभावना हैं।

भण्डारागार : पिछले दो वर्षों में बहुत अच्छी फसलें होने के कारण उपयुक्त गोदाम जुटाने की समस्या सामने आई हैं। ऐसा अनुभव किया जाता हैं कि राज्य में लगभग में लगभग 2 लाख टन की जो वर्तमान भंडार-क्षमता हैं वह बहुत ही कम हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने अधिक गोदामों की व्यवस्था करने के लिए एक "जोरदार कार्यक्रम" आरम्भ किया है और इस सम्बन्ध में राज्य में कार्य कर रही है विभिन्न एजेंसियों की गतविधियों में तालमेल लाने के लिये एक राज्य स्तरीय समिति बनाई गई हैं। इसके लिए जो कार्यक्रम बना गया हैं उसके अनुसार 1972-73 तक 6 लाख टन की अतिरिक्त भंडार क्षमता तथा 1973-74 की रबी फसल तक 12 लाख टन की कुल अतिरिक्त भंडार क्षमता बनाने का विचार हैं। विभिन्न एजेंसियों के लिये भी लक्ष्य निर्धारित कर दिय गए हैं। राज्य सरकार 1972-73 में भण्डारागार निगम (Warehousing Corporation) के लिये 45 लाख रूपये की व्यवस्था कर रही हैं। खाद्य एवं सप्लाई विभाग ने गोदाम बनाने के लिये एक बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया हैं और 1971-72

के दौरान इस पर 1.27 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे। 1972-73 कार्पोरेशन और राष्ट्रीय सहकारी विकास कार्पोरेशन से राशि प्राप्त की जा रही है ताकि सहकारी क्षेत्र में गोदाम बनाए जा सकें।

सहकारिता ऋण: किसानों को ऋण देने का कार्य, जिससे कृषि के विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होती है, मुख्यतः सहकारी क्षेत्र को सौंप दिया गया है। इस क्षेत्र में प्रगति तीव्र गति से हो रही है और अब राज्य के सभी गांवों को सहकारी समितियों के अधीन लाया जा चुका है तथा इन समितियों की कार्यकर पूंजी (Working Capital) जो कि वर्ष 1968 में 66 करोड़ रुपये थी, 1971 में बढ़कर, 140 करोड़ रुपये हो गई। प्राथमिक कृषि उधार समितियों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की राशि, जोकि 1967-68 में 8 करोड़ रुपये थी, वर्ष 1970-71 में बढ़कर 16 करोड़ रुपये हो गई है। वर्ष 1971-72 के दौरान इन समितियों द्वारा बांटे जाने वाली ऋण की राशि 17 करोड़ रुपये और वर्ष 1972-73 के दौरान 18.50 करोड़ रुपये होने की संभावना है। भूमि बंधक बैंकों (Land Mortgage Bank) द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण, वर्ष 1967-68 में 2.68 करोड़ रुपये के थे जो वर्ष 1970-71 में बढ़कर 9.23 करोड़ रुपए के हो गए।

पशुपालन तथा डेरी विकास: हरियाणा में पशुधन के विकास के लिये अत्याधिक क्षमता है। जब से हरियाणा राज्य बना है पशुपालन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से महत्त्वपूर्ण विकास कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। इस सम्बन्ध में राज्य की चौथी

योजना में 390 लाख रूपये की राशि जुटाई गई है, जिस में से 1972-73 में 91 लाख रूपये खर्च करने का विचार है। भारत सरकार की वित्तीय सहायता से चालू की गई दो बड़ी सघन पशुधन विकास परियोजनाओं (Intensive Cattle Development Projents) के अतिरिक्त राज्य सरकार ने तीन सघन पशुधन विकास खंडों की स्थापना की है जिनके अन्तर्गत जींद, पेहवा तथा भिवानी के प्रत्येक दूध वाले क्षेत्र में 50000 प्रजनन पशु आ जाएंगे। 1972-73 में अम्बाला में एक ऐसा ही प्रोजैक्ट आरम्भ करने का विचार है जिसके अन्तर्गत अम्बाला का दूध वाला क्षेत्र आ जाएगा। इन प्रोजैक्टों के अधीन दूध देने वाले पशुओं की नसल को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

डेरी विकास के कार्यक्रमों के लिये सरकार ने एक कार्पोरेशन बनाई है जिसने राज्य में मिलक प्लांट लगाने का काम सम्भाला है। पहला आधुनिक मिलक प्लांट स्थापित करने का कार्य दिसम्बर, 1970 में पूरा हो गया था। 1972-73 में उक्त कार्पोरेशन के लिये 35 लाख रूपए की व्यवस्था की जा रही है ताकि अम्बाला में एक मिलक प्लांट तथा भिवानी में एक मधुरकृत मिलक प्लांट की स्थापना की जा सके और हिसार में स्थित वर्तमान आधुनिक डेरी का विकास किया जा सके। भिवानी में लगाए जाने वाले मिलक प्लांट का कार्य अप्रैल, 1972 तक और अम्बाला मिलक प्लांट का कार्य 1972-73 के अन्त तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

डेरी उद्योग के और विकास के लिये विशेष स्कीमें तैयार की गई हैं जिनके अधीन दूध देने वाले पशुओं की खरीद के लिये कर्ज दिये जायेगे। इनके अधीन जीद, भिवानी तथा रोहतक के दूध वाले क्षेत्रों में दूध सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं। इन संस्थाओं के प्रत्येक सदस्य को 1,800 रूपए का कर्जा दिया जाएगा जिसमें से 180 रूपये की राशि वह स्वयं देगा। एग्रीकल्चर रिफाईनेंस कार्पोरेशन ने पहले ही जींद दूध सप्लाइ स्कीम के लिये वित्तीय सहायता दे दी है, जिसके अन्तर्गत 90 दूध सप्लाइ समितियां बनाई गई हैं, जिन्हें 61.70 लाख रूपये तक के कर्ज भी दिये जा चुके हैं। आशा की जाती है कि कार्पोरेशन 1972-73 में इन क्षेत्रों की उक्त दूध सप्लाइ समितियों की सदस्यों को 2.52 करोड़ रूपए के कर्ज देगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के हिस्से अंशदान (Share Contribution) के रूप में 18.50 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है।

उद्योग: राज्य में औद्योगिक निवेश (Industrial Investment) बढ़ रहा है और हरियाणा में उद्यमकर्त्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। पुनर्गठन के समय हरियाणा में 11 स्टील रोलिंग मिल्स थी, अब उन की संख्या 40 हो गई है। इसी प्रकार तारें बनाने वाली यूनिटों की संख्या 7 से बढ़ कर 50 हो गई है। राज्य में 1969-70 में 5.80 करोड़ रूपये के मूल्य के कृषि उपकरणों तथा मशीनी औजारों का उत्पादन हुआ था जो 1970-71 में बढ़कर 12.77 करोड़ रूपए के मूल्य का हो गया।

इसी प्रकार सूती कपड़े का उत्पादन 24.83 करोड़ रुपए से बढ़कर 31.79 करोड़ रुपए, चीनी का उत्पादन 0.43 लाख टन से बढ़कर 0.83 लाख टन साइकलों का उत्पादन 4.41 लाख से बढ़कर 4.68 लाख और ट्रैक्टरों का उत्पादन 8216 से बढ़कर 11425 हो गया है चालू वर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि के लाइसेंस और आशय-पात्र (Letter of Intent) पहले ही जारी किये जा चुके हैं। यह वृद्धि उदार रियायतों, वित्तीय सहायता तथा व्यापक रूप में तकनीकी परामर्श उपलब्ध करने की नीति का परिणाम है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिये विशेषरूप से प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिये परियोजनाएं तैयार कर ली गई हैं, जिनके अधीन विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता का निर्धारण किया जायेगा और इसके पश्चात् इन क्षेत्रों में उपयुक्त उद्योगों के विकास के लिये सभी प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी। इस समय ऐसी परियोजनाएं जिला हिसार, जगाधारी के सघन क्षेत्र तथा करनाल जिले के साथ लगने वाले क्षेत्रों में आरम्भ की जा रही है। अगामी वर्ष की योजना में उद्योग लगाने के लिये भूमि के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है और इस उद्देश्य के लिये रखी गई राशि 11 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख कर दी गई है। सभी क्षेत्रों में, जिस में दिल्ली के आसपास के नगर शामिल हैं, भूमि का विकास किया जा रहा है। इस के साथ-साथ अम्बाला, कालका, जींद, जगाधारी तथा गोहाना में अतिरिक्त भूमि की भी व्यवस्था की जा रही है।

अब उद्योग विभाग तीन कार्पोरेशन राज्य के औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उद्योग विकास कार्पोरेशन की चालू परियोजनाओं में लगभग 10.00 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश (Capital Investment) की व्यवस्था है और कार्पोरेशन को निकट भविष्य में खाद, स्पंज, तेल, नाइलोन, कास्टिक सोडा आदि कुछ बड़े प्रोजेक्टों के लिये लाइसेंस मिलने की भी आशा है। हरियाणा वित्त कार्पोरेशन के कार्य का मुकाबला अधिक बड़े राज्यों के साथ बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। यह कार्पोरेशन बड़े पैमाने पर उद्योग को सहायता देती है और ऐसी सम्भावना है कि चालू वर्ष के दौरान इसके द्वारा 4.00 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण मंजूर किये जाएंगे। कमी की स्थिति होते हुए भी हरियाणा लघु उद्योग तथा निर्यात कार्पोरेशन (The Haryana Small Industries and Export Corporation) अच्छी प्रकार कार्य कर रही है और राज्य के लघु यूनिटों को प्रतिमास 47.00 लाख रुपये की सामग्री सप्लाई कर रही है। सहकारी क्षेत्र में तरावड़ी के स्थान पर 30,000 टन की उत्पादन क्षमता वाला एक दानेदार खाद प्लांट लगाया जा रहा है। सोनीपत, करनाल और कैथल में तीन नई चीनी की मिलें स्थापित करने का विचार किया जा रहा है (प्रशंसा)। इस प्रयोजन के लिये 1972-73 में राज्य की हिस्सा पूंजी के रूप में 30.00 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

बिजली: हमारे द्वारा अपनाई गई अर्थ-व्यवस्था में राज्य का मुख्य कर्तव्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना और अनिवार्य सेवाओं को जुटाना है। हरियाणा में हम ने इस कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया तो है ताकि राज्य के लोग सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। इस प्रकार यह राज्य देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। इन सभी गांवों में संचार की सुविधाओं की व्यवस्था भी शीघ्र की जा रही है। राज्य में बिजली की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1966-67 में यह खपत 4400 लाख यूनिट थी जो कि वर्ष 1971-72 में बढ़कर 9500 लाख यूनिट हो गई है और बिजली की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये बोर्ड द्वारा फरीदाबाद में 60 मेगावाट का एक दूसरा यूनिट 15.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिन में से प्रत्येक में 110 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मध्य प्रदेश के सतपड़ा बिजली प्रोजेक्ट, बदरपुर प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। 1972-73 के दौरान बिजली परियोजनाओं के कार्यक्रमों के लिये सरकार 7.35 करोड़ रुपए ऋण के रूप में बोर्ड को दे रही है।

सड़कें: राज्य सरकार का दृढ़ विश्वास है कि किसी क्षेत्र को विकसित करने का सर्वोत्तम ढंग यह है कि उसे सड़क से जोड़ कर वहां नए विचारों और तरीकों को पहुंचा दिया जाए। इस प्रकार संचार सुविधाओं को उपलब्ध करने से राज्य के अत्यधिक

पिछड़े क्षेत्र को भी विकसित होने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जनवरी, 1973 तक राज्य के सभी सड़को से मिलाने का निर्णय किया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना खर्च में पर्याप्त वृद्धि की गई है। चौथी योजना में 17.00 करोड़ रुपए खर्च की व्यवस्था की गई थी किन्तु योजना के मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले पहले तीन वर्षों में ही 30.97 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है और 1972-73 के लिये 16.80 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है। इसके आलावा अकाल सहायता कार्यक्रम के अधीन बाढ़ग्रस्त तथा अकालग्रस्त क्षेत्रों में सरकार 1971-72 की समाप्ति तक 5.15 करोड़ रुपये खर्च कर लेगी। 1972-73 के दौरान कार्यक्रम को पूरा करने के लिये 14.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस प्रयोजन के लिये मार्केट कमेटियों की निधियों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है और अब तक इन निधियों में से लगभग 4.5 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। अनेक अड़चनो के होते हुए भी सड़क निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। वर्ष 1969-70 में 981 किलोमीटर, 1970-71 में 2070 किलोमीटर सड़को का निर्माण किया गया है। और 1971-72 में 2500 किलोमीटर सड़के बनाए जाने का अनुमान है। इसके साथ-साथ वर्तमान में इस कार्यक्रम पर 80 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है जिस में मार्केट समितियों का अंशदान शामिल है।

सड़क परिवहन: हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा चलाई जा रही बस सेवा देश भर की सर्वाधिक कुशल बस सेवाओं में से एक है। इस समय हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन 2.51 लाख किलोमीटर जाती हैं और इस तरह इस समय ये बसें राज्य के कुल परिचालित मीलों में से 90 प्रतिशत मीलों पर चलती हैं। शेष 10 प्रतिशत परिचालितों मीलों पर भी निकट भविष्य में ये बसें लगेंगी। परिवहन विभाग की बसों की संख्या चालू वर्ष के अन्त तक, 1300 होने की संभावना है, जबकि 31 मार्च, 1971 को इनकी संख्या 1048 थी। वर्ष 1972-73 के दौरान 200 और बसें खरीदने का प्रस्ताव है। परिवहन विभाग द्वारा काफी धन कमाया गया है और वर्ष 1970-71 में 2 करोड़ रूपए से अधिक हो गया है। इस के साथ-साथ परिवहन विभाग यात्रियों को अच्छे और अधिक बस अड्डों, प्रतीक्षा-स्थलों और कैफेटेरियों के रूप में अधिक सुविधाएं दे रहा है।

शिक्षा: शिक्षा सुविधाओं और विद्यार्थियों में लगातार वृद्धि हो रही है। चालू वर्ष में 300 नए प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं। 100 प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें मिडल स्कूल बना दिया गया तथा 100 मिडल स्कूलों को हाई स्कूलों में परिवर्तित किया गया है। वर्ष 1967-68 से प्राइमरी स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या 22 प्रतिशत और मिडल स्तर पर 21.7 प्रतिशत बढ़ गई है। इसी अवधि के दौरान हाई और हायर सैकेंड्री स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 30 प्रतिशत बढ़ गई है। फिर भी

विशेषतया प्राइमरी स्तर पर कुछ कठिनाइयां हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगी। चौथी योजना में 6-11 वर्ष की आयु-वर्ग के 80 प्रतिशत बच्चों को स्कूल में दाखिल करने का लक्ष्य था जबकि वर्तमान दाखिला केवल 62 प्रतिशत ही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक कुछ क्षेत्रों में लोग अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते और हरिजन भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के इच्छुक नहीं हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने इस आयु-वर्ग के बच्चों से दाखिले के लिये एक जोरदार अभियान चलाया है ताकि हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त लड़कियों और हरिजन लड़कों को निःशुल्क पुस्तकें देने की स्कीम प्रारम्भ की गई है। इसके अधीन चालू वर्ष में एक लाख मूल्य की पुस्तकें बांटी जा रही हैं। इस प्रयोजन के लिये अगामी वर्ष में 6.50 लाख की व्यवस्था की जा रही है। बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां विशेषतया लड़कियों के लिए मंजूर की गई हैं और हरिजन विद्यार्थियों के लिये पूर्व-मैट्रिक स्तर तक छात्रों वृत्ति की दर 6 रूपये मासिक से बढ़ाकर 8 रूपये मासिक कर दी गई है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जहां लोग इस प्रयोजन के लिये भवन की व्यवस्था स्वयं कर दे, वहां लड़कियों के लिये अलग स्कूल खोल दिये जाएं। सरकार यथासंभव, प्राइमरी स्कूलों में महिला अध्यापक नियुक्त करने का प्रयास कर रही है। महिला अध्यापकों तथा छात्राओं के लिए संयुक्त छात्रावास के निर्माण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है

तथा चौथी योजना के दौरान ऐसे 5 छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव है।

प्राइमरी स्तर पर शिक्षा में सुधार करने के लिए प्रत्येक प्राइमरी स्कूल को दो सौ रूपये के मूल्य की साईस किट्स उपलब्ध की जा रही हैं। इन स्कूलों के लिये हैडमास्टर्स के पदों पर प्रशिक्षित स्नातकों को नियुक्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चालू वर्ष में 500 और अगामी वर्ष में 1000 प्राइमरी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था करने का लक्ष्य है। इन स्कूलों में अध्यापको और विद्यार्थियों के अनुपात को कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। गांव वालों को सहायता से प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिये रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था की जा रही 2298 क्वार्टरों का निर्माण किया जा चुका है और 310 क्वार्टर निर्माणधीन हैं। सरकार को पूरी आशा है कि जनता के सहयोग से और इन उपायों से राज्य में शिक्षा का बहुत विकास हो जाएगा।

उच्च शिक्षा के विकास के लिये इस वर्ष भिवानी तथा फरीदाबाद में दो नए कालेज खोले गए हैं और महेन्द्रगढ़ में एक गैर-सरकारी कालेज सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है। इस प्रकार सरकारी कालेजों की कुल संख्या 16 हो गई है। स्कूल तथा कालेज दोनों स्तरों पर विज्ञान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, छात्रावासों तथा पुस्तकालयों जैसी अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की परियोजनाओं के इलावा क्रमशः 53.70 लाख रूपए तथा 48.50 लाख रूपए की लागत से हिसार तथा भिवानी में

कालेजों के लिये भवन बनाने का कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव हैं। सरकार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा स्नातकोत्तर प्रादेशिक केन्द्र (Post Graduate Regional Centre), रोहतक को भी उदार अनुदान देती रही हैं। चालू वर्ष के दौरान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 5000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें शिक्षा, मनोविज्ञान तथा वाणिज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ किये गए हैं। और अनुसंधान के लिये सुविधाओं का बहुत विस्तार किया गया है। स्नातकोत्तर प्रादेशिक केन्द्र को चालू वर्ष में 14 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है और अब इस केन्द्र में अन्य कला विषयों के अतिरिक्त भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में भी स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये प्रबन्ध हैं। सरकार गैर-सरकारी कालेजों की ठीक ढंग से चलाने के लिये सहायता देती रही हैं। वर्ष 1971-72 में ऐसे कालेजों को 2007 लाख रुपए की राशि सहायता-अनुदान के रूप में दी गई। आगामी वर्ष में इस प्रयोजन के लिये 21.14 लाख रुपये रखने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इन कालेजों को प्रति वर्ष लगभग 6 लाख रुपये के विकास-अनुदान भी दिये जा रहे हैं।

चिकित्सा: राज्य सरकार इस बात की बड़ी इच्छुक है कि राज्य में लोगों का जीवन स्वच्छ और स्वस्थ हो। इस प्रयोजन के लिये डाक्टरी सहायता के स्तर में लगातार सुधार किया जा रहा है। चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में 4.88 करोड़ रुपये का योजना उपबन्ध किया गया है जबकि शुरू में योजना की पांच

वर्षों की पूरी अवधि के लिये 6 करोड़ रूपए, का कुल उपबन्ध किया गया था। 1972-73 के लिये 3.07 करोड़ रूपए का उपबन्ध किया गया है। वर्ष 1967-68 में दवाइयों के लिये प्रति व्यक्ति 18 पैसे का उपबन्ध था जो कि वर्ष 1971-72 में बढ़ाकर 65 पैसे कर दिया गया है। वर्ष 1972-73 में इसे और बढ़ा कर 75 पैसे कर देने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिये 75.00 लाख रूपये का उपबन्ध किया गया है। यह प्रति व्यक्ति खर्च देश में सब से अधिक होगा। राज्य के हस्पतालों में वर्ष 1868 के दौरान 5064 बिस्तरों की व्यवस्था थी जो कि 1971-72 में बढ़ाकर 6280 कर दी गई है। वर्ष 1972-73 में 122 और बिस्तरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। चिकित्सा सुविधाओं में और अधिक सुधार करने के लिये राज्य के 5 हस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों को छोड़कर जिन्हें अब भी स्थानीय निकाय (Local Bodies) चला रहे हैं, शेष सभी को सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया है। इन 5 हस्पतालों और डिस्पेंसरियों को भी वर्ष 1972-73 के दौरान सरकार अपने नियन्त्रण में ले लेगी। वर्ष 1972-73 के दौरान 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे तथा प्रयोगशाला की सुविधाओं को देने का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है। ऐसे 12 केन्द्र पहले ही मौजूद हैं जहां पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्ष 1971-72 तक 15 एलोपैथिक तथा 37 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में ही खोल दी जाएगी। वर्ष 1972-73 के दौरान 10 नई एलोपैथिक तथा 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां खोलने का प्रस्ताव है।

सरकार मैडिकल कालेज, रोहतक को देश का सर्वोत्तम मैडिकल कालेज बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। भवन-निर्माण का एक विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और इसके लिए 123.55 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है अगले वर्ष तक 192 बिस्तरों वाला एक नया कक्ष खोल दिया जाएगा और मनोविकार कक्ष (Psychiatric wing) के लिये 33 और बिस्तरों का प्रबन्ध किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान कालेज में 50 बिस्तरों वाले चलते-फिरते हस्पताल की व्यवस्था की गई है और एक पैराप्लैजिक क्लिनिक भी खोला गया है। कालेज के लिए नवीनतम साज-समान मंगवाने के लिए आदेश दिया गया है। कालेज एक नये मैडिकल रजिस्ट्रेशन तथा रिकार्ड अनुभाग भी स्थापित किया है, जिसमें रोगियों के चिकित्सा-वृत्त ढढ़ने में सुविधा होगी। मैडिकल कालेज में इस वर्ष के दौरान सीटों की संख्या 125 से बढ़कर 150 करने का भी विचार है और इस प्रयोजन के लिये मैडिसन और सर्जिकल विभागों के लिए अतिरिक्त यूनिट खोलने के लिए मंजूरी दी जा रही है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए 2500-3000 रुपये के विशेष वेतनमानों की व्यवस्था कर दी गई है। प्रिन्सिपल तथा मैडिकल सुपरिटेण्डेंट के वेतनमान बढ़ा दिए गए हैं और उन्हें बिना किराए के रिहायशी आवास जैसी और सुविधाएं भी दी जा रही हैं। कालेज के लिये 1971-72 में 122.62 लाख रुपये रखे गए थे और 1972-73 में 109.00 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। चौथी योजना में मूलतः केवल 124.60 लाख रुपये खर्च करने का अनुमान था।

जन स्वास्थ्य: राज्य के लोगों की एक बड़ी कठिनाई यह है कि उन्हें पीने का साफ और मीठे पानी नहीं मिलता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये जल सप्लाई स्कीमों पर होने वाले खर्च को काफी सीमा तक बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 1970-71 के दौरान इन योजनाओं के लिये 140 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया था, जबकि इसके मुकाबले में वर्ष 1971-72 में इन योजनाओं के लिये 290 लाख रुपया रखा गया है। वर्ष 1972-73 के लिये भी इस प्रयोजन के लिये 290 लाख रुपये की राशि का उपबन्ध कराने का प्रस्ताव है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए इस पर और अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। यह अनुमान लगाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था करने के लिये 80 करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी पड़ेगी और नगरों के लिये 18 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित होगी। इसी प्रकार नगरों में उचित मल-निकास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये 13 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी। इसलिये सरकार इन योजनाओं के लिये हर संभव साधन से धन जुटाने के लिये प्रयत्नशील है। नगरों में जल-सप्लाई योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा 66 प्रतिशत तक राशि का उपबन्ध किया जाता है। चालू वर्ष में हम 158 लाख रुपये का ऋण निगम से प्राप्त कर चुके हैं और 51 लाख रुपये के और ऋण की बातचीत चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के लिये अधिक संस्था-ऋण (Institutional Credit) प्राप्त करने के लिए ग्रामीण सफाई बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान 100 गावों में

जल-सप्लाई योजना और 5 नगरों में अशिक जल-सप्लाई तथा 3 नगरों में मल-निकास सुविधाओं के कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य है। चौथी पंचवर्षीया योजना के अन्त तक राज्य के सभी नगरों में साफ और मीठे जल की सप्लाई का और राज्य के बड़े-बड़े शहरों में मल-निकास सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

नगर तथा ग्राम आयोजना: राज्य में शहरी क्षेत्रों के उचित तथा नियंत्रित विकास का कार्य नगर तथा ग्राम आयोजना (Town and Country Planning) तथा शहरी सम्पदा (Urban Estates) के विभागों को सौंप दिया गया है। विभाग ने जीद, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़ तथा गुडगांव के लिये विकास योजनाए तैयार करके प्रकाशित की हैं तथा विभाग पानीपत, भिवानी, करनाल, कैथल, हिसार, अम्बाला, शाहबाद तथा फतेहबाद के लिये मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। शहरी सम्पदा विभाग भूमि का अभिग्रहण (Acquisition) करके उसका विकास करने तथा रिहायशी, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उसे बेचने का कार्य कर रहे हैं। विभाग द्वारा वर्ष 1971-72 के नवम्बर मास तक औद्योगिक प्रयोजनों के लिये 420 करोड़ भूमि तथा रिहायशी प्रयोजनों के लिए 411 एकड़ भूमि का अभिग्रहण किया गया है। आशा है कि चालू वर्ष की समाप्ति तक पंचकूला, रोहतक, सोनीपत, मुर्थल, फरीदाबाद, जीदं तथा गुडगांव की शहरी सम्पदाओं में औद्योगिक तथा रिहायशी प्लॉट काटने के लिए 1300

एकड़ अतिरिक्त भूमि का अभिग्रहण कर लिया जाएगा। सरकार ने आदर्श ग्राम तथा फोकल ग्राम स्कीमें चालू की हैं, जिनकी कार्यन्विति के लिए ग्राम विकास बोर्ड बनाया गया है। ये ग्राम भविष्य में गांवों की जिन्दगी के स्तर में और सुधार लाने के लिये आदर्श स्थापित करेंगे। चालू वर्ष में इन कार्यों पर 40 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है और अगामी वर्ष में इन स्कीमों पर 1.00 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

आवास: राज्यों में मकानों की समस्या को सुलझाने के लिये हरियाणा राज्य आवास बोर्ड (Haryana State Housing Board) ने चालू वर्ष से कार्य शुरू कर दिया है और उसके लिये 35 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के आवास तथा शहरी विकास निगम (Housing and Urban Development Corporation) की सहायता से बोर्ड 35 लाख रुपये की लागत से फरीदाबाद में निर्धन व्यक्तियों के लिये 500 मकान बना रहा है। उक्त राशि में से केन्द्रीय निगम लगभग 24 लाख रुपए देगा। अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये 500 मकान बनाने की एक दूसरी स्कीम के सम्बन्ध में आवास तथा शहरी व्यवस्था करने के लिए उक्त निगम से प्रार्थना की गई है इस स्कीम पर 107 लाख रुपये की लागत आएगी। पंचकूला के लिये एक आवास परियोजना भी तैयार की जा रही है। सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक खंड में मकानों का समूह बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। उन स्कीमों को तभी कार्यन्वित किया जा

सकेगा। यदि इनके लिए आवास तथा शहरी विकास निगम से पर्याप्त सहायता मिलेगी। सरकार यह भी चाहती है कि राज्य के बड़े नगरों में रिहायशी तथा अन्य प्रयोजनों के लिये भूमि के विकास का कार्य आरम्भ किया जाए और इस सम्बन्ध में योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। इसका अधिकांश कार्य राज्य में विभिन्न इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के माध्यम से किया जाएगा।

अनुसूचित जातियां तथा पिछड़ी श्रेणियां : माननीय सदस्य हरिजनों तथा पिछड़ी श्रेणियों के रहन सहन में सुधार लाने के लिए सरकार की उत्सुकता तथा दृढ़-संकल्प से भली भाँति परिचित हैं। इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए चौथी योजना का खर्च संशोधित किया जा रहा है और इस खर्च के 200 लाख रुपये से बढ़ कर लगभग 250 लाख रुपये हो जाने की सम्भावना है। वर्ष 1971-72 के लिए यह राशि 40 लाख रुपये से बढ़ कर 64.60 लाख रुपये कर दी गई है और इसके लिए 1972-73 में 75.60 लाख रुपये का उपबन्ध करने का प्रस्ताव है।

उच्च शिक्षा तथा समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने में सहायता देने के लिए अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी श्रेणियों के लोगों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और उन्हें छात्रवृत्तियाँ देने तथा फीस माफी के लिए 19 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। अम्बाला, भिवानी तथा रोहतक में तीन पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें 160 हरिजन लड़कों को विभिन्न सरकारी नियुक्तियों की प्रतियोगिता

परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अधिकांश प्रशिक्षण प्राप्त लड़कों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कार्यालयों में रोजगार दिया जा रहा है। सामुदायिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सामुदायिक केन्द्रों के लिए 10 लाख रुपए की राशि का उपबन्ध किया गया है और सरकार का जनवरी, 1973 तक 1200 गांवों को इन के अन्तर्गत लाने का विचार है। हरिजनों को डेरी उद्योग प्रारम्भ करने के लिए 7.70 लाख रुपए तथा कृषि भूमि को खरीदने के लिए 19.98 लाख रुपए के ऋण देने के लिए उपबन्ध किया गया है। चूंकि पेयजल की कमी है, इसलिए हरिजनों के लिए अनुरूपी अनुदानों (Matching grants) की स्कीम के अधीन पीने के पानी के कुओं को लगाने के लिए राशि की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष उक्त कार्य के लिए 6 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई थी तथा अगले वर्ष के लिए 7 लाख रुपए की व्यवस्था की जा रही है।

हरिजनो के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की दृष्टि से सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयत्नो को पूरा करने के लिए हरियाणा हरिजन कल्याण निगम लिमिटेड ने 2 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी (Authorised Capital) के साथ जनवरी 1971 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। निगम ने 30 दिसम्बर 1971 तक लगभग 34 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं। इसमें से लगभग 13 लाख रुपए की राशि पहले ही बांटी जा चुकी है। सरकार 1972-73 में

निगम को अपना कार्य करने के लिए 15 लाख रुपए हिस्सा पूंजी और 25 लाख रुपए ऋण के रूप में देगी।

छोटे किसान विकास एजेंसिया तथा सीमांत किसान एवं कृषि मजदूर एजेंसियां: जैसे कि माननीय सदस्यों को ज्ञात ही हैं कि छोटे किसानों, सीमांत किसानों तथा देहाती जनता के अन्य कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए अम्बाला तथा गुडगांव में दो छोटे किसान विकास एजेंसिया (Small Farmer Development Agencies) और अम्बाला तथा हिसार में दो सीमांत किसान तथा कृषि मजदूर एजेंसियां (Marginal Framers and Agricultural Labour Agencies) स्थापित की गई हैं। अम्बाला तथा गुंडगांव में छोटे किसान विकास एजेसियां ने काम शुरू कर दिया हैं। अम्बाला में 2.5 से 7.5 एकड़ तक भूमि वाले छोटे किसानों का पता लगाने का कार्य पूरा होने वाला हैं और कुल 26916 छोटे किसानों को पता चला हैं। चालू वर्ष के दौरान इन छोटे किसानों को एजेंसी द्वारा उत्पादन के रूप में देने का प्रस्ताव हैं। 500 पम्पिंग सैट लगान और 300 नलकूपों के लिए पक्के जल मार्गों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव हैं। 500 हेक्टेयर भूमि को समतल करने का भी प्रस्ताव हैं। 480 किसानों को भैंसें खरीदने के लिए और 350 किसानों को मुर्गीपालन तथा सूअर पालन के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही हैं। 600 किसानों को कृषि औजार देने का भी प्रस्ताव हैं। गुडगांव में एजेंसी ने विभिन्न स्कीमों में भाग लेने के लिए लगभग 10180 छोटे किसानों का पता लगाया हैं। ऐसा

अनुमान है कि चालू वर्ष के दौरान विभिन्न ऋण एजेसियों की मार्फत इन किसानों को 113 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। इस कार्यक्रम के अनुसार 170 रिसन कुओं के इलावा 1500 नलकूपों भी लगाए जाने हैं। 1500 किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए और अन्य किसानों को धान्यकोष्ठों (Storage Bins) के निर्माण के लिए सहायता दी जा रही हैं।

समाज कल्याण: शिशु कल्याण, महिला कल्याण, विकलांगों तथा सामाजिक तौर से कुसमंजित (Maladjusted) वर्गों के कल्याण के लिए अनेक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बुढ़ापा पेंशन को 1967 में बन्द कर दिया गया था, परन्तु इसे अप्रैल 1969 में दुबारा शुरू कर दिया गया है और इस समय 4295 वृद्ध और बेसहारा व्यक्ति 25 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। शहरी गंदी बस्तियों में पोषाहार की कमी को दूर करने के लिए 6 मास से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों और गर्भवती स्त्रियों तथा दूध पिलाने वाली माताओं के लिए वर्ष 1970 में पोषाहार का एक जोरदार कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस समय 6000 बच्चे इस स्कीम से लाभ उठा रहे हैं। गूंगे तथा बहरे व्यक्तियों के कल्याण के लिए गुड़गांवो में एक केन्द्र खोलने के लिए सरकार ने 50000 रुपये का सहायता-अनुदान दिया है। युद्ध में हुए शहीदों के परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार ने अनुग्रह-अनुदान तथा पेंशन देने और उनके बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं देने की

व्यवस्था की हैं तथा उन्हें सरकारी नौकरियों में तरजीह देने की स्कीम भी विचारधीन है।

गत वर्ष मैंने बताया था कि सरकार भिक्षावृत्ति को समाप्त करना और भिखारियों में जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, उन्हें सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त व्यवसायों में लगाना चाहती हैं। हरियाणा भिक्षावृत्ति निवारक अधिनियम, 1971 पास हो चुका है तथा पुरुष और महिला भिखारियों के लिए केन्द्रों तथा प्रमाणित संस्थानों की व्यवस्था हो जाने पर इसे तुरन्त लागू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्धों और विकलांगों को रोजगार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सोनीपत में शेलटर्ड की स्थापना की जा रही है। इन सभी समाज कल्याण कार्यों के लिए आगामी वर्ष के बजट में 89.14 लाख रूपए की व्यवस्था की गई है।

सरकारी कर्मचारी: हरियाणा राज्य ने जो महत्वपूर्ण प्रगति की हैं, वह हमारे सरकारी कर्मचारियों के अनथक परिश्रम एवं कर्तव्यनिष्ठा के फलस्वरूप ही सम्भव हुई हैं उन्हें जो भी कार्य सौंपा गया, उसे उन्होंने बड़ी खुशी और कुशलता के साथ किया है अतः सरकार चाहती है कि उनके लिए राज्य के साधनों की सीमा के अन्दर रहते हुए बेहतर सेवा-शर्तों की व्यवस्था की जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कर्मचारियों के वेतमानों को बढ़ाया था और उनमें पाई जाने वाली विसंगतियों को दूर किया है सेवा-निवृत्ति के पश्चात् जीवन-यापन को सुखद और शान्त बनाने के लिए पेंशन की दर को और अधिक बढ़ाया गया

हैं। श्रेणी I, II तथा III के सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले उत्पादन (Gratuity) की राशि को उनके कुल वेतन के 15 गुना से बढ़ाकर कर 16½ गुना और श्रेणी IV के कर्मचारियों के मामले में 17½ गुना तक कर दिया गया है वह भी व्यवस्था की गई है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी पेंशन के भुगतान में अनावश्यक देरी न हो। बढ़ती हुई मंहगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता चण्डीगढ़ और प्रथम श्रेणी के अन्य नगरों में प्रतिशत बढ़ाकर 12½ प्रतिशत तथा द्वितीय श्रेणी के नगरों में 5 प्रतिशत से बढ़कर 7½ प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार दौरे पर यात्रा के बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की दरों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले भवन-निर्माण ऋण की शर्तों को और अधिक उदाद बना दिया है

नए प्रस्ताव: इन बजट प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 1972-73 के अन्त में राज्य को 15८22 करोड़ रूपए का घाटा रहेगा। इस घाटे को पूरा करने के लिए कोई नए कर लगाने का विचार नहीं है (प्रशंसा) इस घाटे को पूरा करने के लिए पहले लगे हुए करों की वसूली कारगर ढंग से की जाएगी और करों की चोरी की रोक कर अधिक राशि प्राप्त की जाएगी। हम इस बात की भी पूरी कोशिश करेंगे कि योजनेतर खर्च को यथासम्भव कम किया जाए।

निष्कर्ष: समाप्त होने वाले वर्ष में हरियाणा राज्य ने शानदार सफलताएं प्राप्त की हैं। हमारे राज्य ने लोगों के समाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा पिछड़पन को दूर करने के लिए जोरदार अभियान शुरू किया है। राज्य में सड़को और नहरों का जाल बिछा दिया गया है तथा सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। सरकार द्वारा राज्य में सड़को तथा नहरों का जाल बिछा देने और गांव-गांव में बिजली पहुंचा देने से लोगों को अपना जीवन स्तर ऊंचा करने की सभी आधारभूत सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। चिरकाल से पिछड़े क्षेत्रों के लिये विशेष स्कीमों और प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। रोजगार के अधिक अवसर जुटाए गए हैं ताकि सभी लोग प्रगति जोरदार रूप से लाभ उठा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति गांवों में रोजगार देने के एक जोरदार कार्यक्रम द्वारा की जा रही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को प्रयोग में लाया जा रहा है और आवश्यकत के अनुसार मजदूरी को लाभकारी बनाने के लिए बढ़ाया जा रहा है। छोटे और सीमान्त किसानों तथा देहाती अबादी के कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं। बैंक सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। और निर्धन लोगों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्रमिकों और कम आमदनी वाले लोगों के लिए आवास परियोजनाएं (Housing Projects) भी आरम्भ की गई हैं। अब हमारा राज्य गरीबी को दूर करने और सभी लोगों के लिये अच्छा आर्थिक

जीवन यकीनी बनाने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा हैं। मुझे विश्वास कि हम शीघ्र ही अपने प्रिय प्रधानमन्त्री के अहवाहन पर आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अन्त में, मैं उपनिषदों में दिए गए संदेश को दुहराऊंगी—

“उत्तिष्ठत जाग्रत

प्राप्य वरान् निबोधत।”

“उठो जागो और तब तक कार्य में जुटे रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो।”

आभार स्वीकृति: अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं इतने थोड़े समय में बजट तैयार करने के लिए आयोजना तथा वित्त विभाग के सचिव तथा विभाग के अन्य कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं हरियाणा के महालेखाकार तथा नियंत्रण मुद्रण एवं लेखन सामग्री, चंडीगढ़ तथा उनके कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी आभारी हूँ।

श्रीमन्! अब मैं 1972-73 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ।

जय हिन्द। (प्रशंसा)

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

10.36 A.M.

(The Sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Thursday the 12th January, 1972.)